

क्र.3322800/45/वि/यां/पार्ट-1/02 / 679
कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल 462003
दूरभाष.2552646,2552878 फ़ैक्स 2552406,2551253
Email- encwrdbpl mp@ nic.in

-0-

भोपाल दिनांक 3-12/17

//आदेश//

म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप कमांक एफ-1/2/2008/नियम/चार दिनांक 18 जुलाई-2008 एवं परिपत्र कमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24 जनवरी-2008 में निहित समयमान वेतनमान के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर निम्नलिखित उपयंत्री को द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान में वेतन बैंड रु. 15,600-39100 में रु. 5400 के ग्रेड वेतन की स्वीकृति उनके नाम के समक्ष दर्शाये अनुसार दिनांक से प्रदान की जाती है।

स.क.	कर्मचारी /अधिकारी का नाम	प्रथम नियुक्ति दिनांक	उच्चतर समयमान वेतनमान स्वीकृति का दिनांक
1	श्री राजवीर सिंह जादौन से.नि.उपयंत्री	30.12.89	30.12.2009

सामान्य शर्तें-

- (1) समयमान स्वीकृति पर वेतन का निर्धारण मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग ज्ञाप कमांक एफ-8/2009/नियम चार दिनांक 23.03.2009 एवं समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 25.05.2009 के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा । वेतन निर्धारण हेतु प्रपत्र दो पर आवश्यक विकल्प प्राप्त कर लिया जावे।
- (2) समयमान वेतन योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अन्तर्गत वित्तीय लाभ वापिस नहीं लिया जावेगा परन्तु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमानों का वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।

Pravin 1/4/17
(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल 343
भोपाल दिनांक 3 / 12 / 17

पृ.कमांक 3322800/वि/यां/45/पार्ट-1/02 | 680
प्रतिलिपि:-

- 1 मुख्य अभियंता यमुना कछार,जल संसाधन विभाग,ग्वालियर ।
 - 2 अधीक्षण यंत्री
 - 3 कार्यपालन यंत्री, _____
 - 4 निज सहायक प्रमुख अभियंता/अधीक्षण यंत्री (प्रशासन) कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल ।
 - 5 संबंधित श्री श्री राजवीर सिंह जादौन से.नि. उपयंत्री द्वारा स.क. - 01
 - 6 वेव मैनेजर कार्यालय परियोजना संचालक विश्व बैंक परियोजना भोपाल ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
संबंधित कार्यालय कृपया वेतन निर्धारण की कार्यवाही कर सेवा पुस्तिका की जाँच संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से कराने के पश्चात ही भुगतान की कार्यवाही की जाय ।

Pravin
अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
343